इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 155]   भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 जून 2024—आषाढ़ 3, शक 1946

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जून 2024

फा. क्र.—84 (03)—2024—चार—वि.निर्वा.—138.— भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 52—2024—SDR-VOL. II, दिनांक 13 जून 2024 एवं अधिसूचना क्रमांक 52—2024—SDR-VOL. II, दिनांक 13 जून 2024 का हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजेश कुमार कौल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001

सं. 52—2024—एसडीआर—खंड—II दिनांक 13 जून, 2024

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक नि:शक्तता (बेंचमार्क) वाले निर्वाचक, जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले से ही चिह्नित/इंगित किया गया हो, और जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-IIIक, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. सं. 3786 (अ.) दिनांक 22 अक्तूबर, 2019, का. आ. सं. 3778 (अ.) दिनांक 23 अगस्त, 2023 एवं का. आ. सं. 995 (अ.) दिनांक 1 मार्च, 2024 के जरिए यथा-संशोधित और इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत दिनांक 14-06-2024 को अधिसूचित होने वाले बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप निर्वाचनों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

आदेश से,
हस्ता./—
(एस. बी. जोशी)
प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 52-2024-SDR-Vol. II

Dated 13th June, 2024.

NOTIFICATION

In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the elector above the age of 85 years and elector with physical disability (benchmark) as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State and, who requests for voting by postal ballot paper and subject to the verification of his request by Returning Officer concerned, would be a class of persons to give his vote by postal ballot in the current bye elections to 13 Assembly Constituencies in Bihar, West Bengal, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Uttrakhand, Punjab and Himachal Pradesh, to be notified on 14.06.2024 under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-IIIA of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notifications SO No. 3786(E), dated 22nd October, 2019, SO No.3778(E), dated 23rd August, 2023 and SO No. 995(E), dated 1st March, 2024.

By Order
Sd./-
(S. B. JOSHI)
Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001

सं. 52—2024—एसडीआर—खंड—II दिनांक 13 जून, 2024

अधिसूचना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित ऐसे व्यक्ति, जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-IIIक, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 1964 (अ.) दिनांक 19 जून, 2020 के जरिए यथासंशोधित, इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत दिनांक 14-06-2024 को अधिसूचित होने वाले बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप निर्वाचनों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

आदेश से,
हस्ता./—
(एस. बी. जोशी)
प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 52-2024-SDR-Vol. II. Dated 13th June, 2024.

NOTIFICATION

In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the Covid-19 suspect or affected person, certified by competent authority, who applies for voting by postal ballot paper, and subject to verification of his request by the Returning Officer concerned, would be a class of persons to give his vote by postal ballot in the current bye elections to 13 Assembly Constituencies in Bihar, West Bengal, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Uttrakhand, Punjab and Himachal Pradesh, scheduled to be notified on 14.06.2024 under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-IIIA of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 1964(E), dated 19th June, 2020 read with the directions and guidelines issued by the Election Commission on the subject.

By Order
Sd./-
(S. B. JOSHI)
Principal Secretary.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.